



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— ७५६ / १सी० (वन)
सेवा में, ७५६

दिनांक ०९ / ०६ / २०१७

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12837/2015 कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग सं० 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हेठो सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ऑनलाइन E.D.S. दिनांक 01.05.2017

महोदय,
उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply of point 1 of this office EDS dated 24-05-2016 the state govt informed that the required map submitted in CD but not received in this office yet. The State Govt may upload the required georeferenced map in online Part I.	इस बिन्दु के अनुसार वांछित GIS Software द्वारा निर्मित Geo referenced digital map पर प्रत्येक 200 से 300 मी० की दूरी एवं सभी किनारों पर Coordinates दर्शा कर Part I में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये हैं एवं मानचित्रों की सी०डी० संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न 1— Geo referenced digital map (पैज नं० 2) 2— Digital map (पैज नं० 3) 3— मानचित्रों की सी०डी० 1 नं०
2	In reply of point 2 of EDS dated 24-05-2016 the corrected copy of FRA with all annexure is still not uploaded in Part I column K.	FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये हैं। संलग्न 4 —एफ.आर.ए. (पैज नं० 4)
3	EDS dated 24-05-2016 In reply of point 4 the state govt provided vague reply on the matter. The state govt may specify the comments. “Regarding data given in the district profile in para-14 of online Part-II, the reply of the State Govt. is not satisfactory. The CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Therefore, State Govt. may clarify the mismatch. Further, it is mentioned in the reply by the State Govt. that it is not possible to complete the CA targets because of delay and resultant increase in the daily wage rates. State Govt. may undertake critical review of such situations and submit comments to this office.”	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार


भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी – पैठांणी राज मार्ग सं. 34 से
मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लम्बाई – 1.625 किमी



0 0.5 1 1.5 Km



Legend

Muck Disposal — Alternate Road

Proposed Road
Reserve Forest

Reserve Forest Boundary

Forest Range Boundary

Forest Division Boundary

उप वन संरक्षक

केदरनाथ क्यं जीव प्रशाग

गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्रालय

धनपुर वन अधिकारी (पैठांणी)

सहायक अधिकारी

संस्थाई लोगोनिधि

संस्थाई लोगोनिधि

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated----- 20.05.2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" in Chamoli district falls within jurisdiction, Malai village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Malai' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

5

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.05.2015 at time 17.00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.167 hect for the construction of "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" and forest land 0.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:...20.05.2015

L

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम : कृष्णप्रमाण - नौटी - पैठानी राज्य मार्ग 34 से आम-मालई तक भोट
 प्रांत नव निर्भाव हेतु ०.४२०२-सिविल घासि रख सक डिल्टो जल ०.०३०६
 सिक्कि-मासि, कुल ०.४५०२-सिविल घासि का लो.नि.वि. को दस्तावान्तरण,
 कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिबाड़ी | चैरसैंट
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

उपखण्ड आदिबाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुलप्रांग-भौं-पैठाठी राज्य मान्यता से ग्राम भालूल्हा
ग्रोव लाइनिंग क्षेत्र X हेठले आरक्षित वन भूमि 0.420 हेठले सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.030 हेठले सिविल भूमि
वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.450 हेठले सिविल वन भूमि) का लो.नि.बि .
जोधपुर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबाड़ी) की दिनांक 16/5/2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१-	श्री	उपजिलाधिकारी	उप जिलाधिकारा	अध्यक्ष
२-	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
३-	श्री	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	समिति सचिव
४-	श्री	बी०डी०सी० धेत्र	बी०डी०सी० धेत्र	सदस्य

उपर्युक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में सम्मत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भा.पु.धी.राज्य योजना के अन्तिगत कृषि प्रियांज - नौरी - पैठाठी राज्य प्रांग 34 से श्राम मालई के निर्भाग टेतु 0.420 हे. सिविल श्रम इवं अक डिस्ट्रिक्ट टेतु 0.030 हे. सिविल श्रम कुल 0.450 हे. सिविल वन श्रम का लो. नि. वि. की

हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंस्ता की गई है।

गजस्त उप निवासक मालिर
गहसील-
जिला-चमोली

केन्द्रीय वनस्पति परियोजना

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

काप्रिमांग - नौया - पैदाली - राप्पा नारा 34 लैलू लू नौपरियोजना के निर्माण हेतु **0.4502** वर्टकता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - **आदिकुदी (डी.एस.)**
जनपद - **वगोली**

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वगोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - **आदिकुदी (डी.एस.)**
जनपद - वगोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम : कृषीप्रयाग - नौटी-पैठाठी राज्य मार्ग 34 सुनव निर्माण हेतु
0.420 हेतु. सिविल श्रमि स्पंड मकाडिस्पोजल हेतु 0.030 हेतु कुल
0.450 हेतु. सिविल श्रमि का ला. लि. वि. का हस्तान्तरण।
वन अधिकार आधानियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम मोहनपुर
तहसील झाँडिवाड़ी जिला रामेश्वरम्

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र - नौटी-पैठानी शहर में 34 से अधिक साल वालों के निमाण हेतु (- X - है) आरक्षित वन भूमि, 0.420 सिविल है सिविल सोयम भूमि, सब भव उत्पादन एवं 0.030 हेटा सिविल भवित्व वन पंचायत भूमि (- X - है) अर्थात् कुल 0.450 हेटा वन भूमि का लोनि बिं. अ.ए.

ओचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं दस मंडलों
द्वारा ग्रत्यावर्तित करने हेतु आदेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रवरण के विषय में ग्राम पंचायत मालै द्वारा दिनांक 09/2/15 को सम्बन्धी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्भास करने डेटु विरतृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के त्राहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा समष्टि किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा असूझति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मालवी के ग्रामवासियों को उक्त घन भूमि 0.450 हेक्टर प्रधोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्गमण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

३०/ श्रावित्य
प्रामाणीमेखरी

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्रभागी विकास स्पष्ट. नियंत्रण

नोट :- यिलादि किसी आम वक्तव्यी अथवा वर्णवारी की तदनुसार उक्त का विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रस्त्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सनिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०९/०२/१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालवी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	जीरणजीत खिटौ	
②	" जगदुखीरा खिटौ	जगदुखीरा
③	" राजेन्द्र खिटौ	
④	" लालभाना खिटौ	लालभाना
⑤	" प्रकाश खिटौ	प्रकाश
⑥	" कणजीत खिटौ	कणजीत
⑦	" रघुवीर खिटौ	R.S. खिटौ
⑧	" देवेंद्र खिटौ	देवेंद्र
⑨	" विजय खिटौ	विजय
⑩	" ३६५ खिटौ	३६५
⑪	" भोटन खिटौ	भोटन
⑫	" जी जीविन्द्र खिटौ	जी जीविन्द्र
⑬	" लालवर खिटौ	लालवर
⑭	" लिलोक खिटौ	लिलोक
⑮	" पुष्टर खिटौ	पुष्टर
⑯	" अणांड खिटौ	अणांड
⑰	" कुकुर खिटौ	कुकुर
⑱	" कुवर खिटौ - वैद्यरी	कुवर
⑲	" इन्द्रजीता खिटौ	इन्द्रजीता
⑳	" सुमन खिटौ	सुमन

⑳ - " विक्रम खिटौ — विक्रम

㉑ - " लिलोक खिटौ — लिलोक

㉒ - " दिनेश खिटौ — दिनेश

㉓ - " नाकुर खिटौ — नाकुर

㉔ - " अर्जुन खिटौ — अर्जुन

㉕ - " भोटन खिटौ — भोटन

㉖ - " रघुवीर खिटौ — रघुवीर

㉗ - " शंकरीन खिटौ — शंकरीन

㉘ - " राकेश — वंश कैलाव — राकेश

㉙ - " राकेश — वंश कैलाव — राकेश

㉚ - " छेव राम — छेव

㉛ - " रघुवीर प्रताह — रघुवीर

㉜ - " केवर द-व नैयाली — केवर

㉝ - " पशु ली-ली — पशु

㉞ - " बड़ा प्रताह — बड़ा

㉟ - " निल प्रताह — निल

₹०/-

ग्राम प्रधान



प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०९/१२/८५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भालौ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
36 -	गोदावरी देवी	
37 -	डॉ मिता - पावती देवी	
38 -	लाला रामचंद्री देवी	रामचंद्री देवी
39 -	विरेन्द्र ठाकुर	
40 -	जगदेव चिंह नंदी	जगदेव चिंह नंदी
41	उमड़ी	
42	मुरली हाथ	मुरली हाथ

✓ हो / -
ग्राम प्रधान

